(१)	(२)
३५. अतिरिक्त भार की लिखत अर्थात् कोई ऐसी लिखत जो बंधक संपत्ति पर भार अधिरोपित करती है—	
(क) जबकि मूल बंधक अनुच्छेद क्र. ४३ के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये वर्णनों में से किसी एक वर्णन का है (अर्थात् कब्जे सहित);	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किए गए अतिरिक्त भार की रकम के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(ख) जबकि ऐसा बंधक अनुच्छेद क्र. ४३ के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये विवरणों में से किसी एक वर्णन का है (अर्थात् कब्जा रहित)—	
(एक) यदि अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय, संपत्ति का कब्जा ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है;	वही शुल्क जो भार की, (जिसके अंतर्गत मूल बंधक और पहले किया गया कोई अतिरिक्त भार है) कुल रकम के हस्तांतरण-पत्र (क्र.२५) पर लगता है, जिसमें से वह शुल्क, जो ऐसे मूल बंधक और अतिरिक्त भार पर संदत्त किया गया है, कम कर दिया जाएगा.
(दो) यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया है.	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त भार की रकम के बंध पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
३६. दान की लिखत जो व्यवस्थापन (क्र. ५७) या वसीयत या अंतरण (क्र. ६१) नहीं है:—	
(एक) जब कुटुम्ब के किसी सदस्य को की गई है	उस शुल्क का आधा शुल्क, जो ऐसी संपत्ति, जो दान की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के, हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(दो) अन्य समस्त मामलों में	वही शुल्क, जो ऐसी संपत्ति, जो दान की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
स्पष्टीकरण.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुम्ब से माता, पिता, पत्नि, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.	
३७. **क्षतिपूर्ति बंध—पत्र.**	वही शुल्क जो उतनी ही रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
३८. पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार है—	
(एक) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है;	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम या संपत्ति के बाजार मूल्य का ०.०१ प्रतिशत, इनमें से जो भी

{178–क. **भूमिस्वामी के जीवनकाल में भूमि का विभाजन**–(1) जब कभी कोई भूमिस्वामी अपनी कृषि भूमि को अपने जीवनकाल के दौरान अपने विधिक वारिसों में विभाजित करना चाहता है, तो वह विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।

(2) तहसीलदार विधिक वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात् खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा।}